

19.01.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नहीं आये यह वादपत्र 2020 से लगातार तलबी स्तर पर चल आ रहा है। वादी अधिवक्ता को पूर्व मे कई बार अन्तिम अवसर दिये जा चुके है। वादी एव वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

